भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4092

19.03.2021 को उत्तर के लिए

व्यावसायिक वाहनों के कारण प्रदूषण

4092. श्री राजकुमार चाहर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समग्र ताज ट्रेपेजियम जोन विशेष रूप से आगरा और फतेहपुर सीकरी में भारी व्यावसायिक डीजल वाहनों के कारण परिवेश की वायु गुणवत्ता में क्षरण की जांच के लिए उठाए गए/ प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आगरा सिटी में यमुना किनारा रोड़ से आगरा से इतर जाने वाले भारी व्यावसायिक डीजल वाहन वायु प्रदूषण पैदा करते हैं जिससे यूनेस्को के स्मारकों नामत: आगरा के किले और ताजमहल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर आगरा में यमुना किनारा रोड़ और महात्मा गांधी रोड़ पर आगरा से इतर जाने वाले भारी व्यावसायिक डीजल वाहनों के प्रवेश को रोकने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) परिवेशी वायु गुणवत्ता में गिरावट की जांच करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा की गईं पहलों के विवरण में (i) आगरा में 15 वर्ष अथवा इससे पुराने वाहनों का पुन: पंजीकरण न होना; (ii) अप्रैल 2021 से BS VI अथवा इससे अधिक वाहन प्रदूषण मानदंडों को पूरा करने वाले नए वाहनों का पंजीकरण; (iii) शहरों के सार्वजनिक यातायात प्रणाली का 100 प्रतिशत सीएनजी में रूपांतरण; (iv) स्थानीय पुलिस द्वारा सत्यापित विधिवत रूप से प्राधिकृत वार्षिक पास के धारक 500 मीटर के दायरे में रहने वाले नागरिकों को छोड़कर, ताजमहल से 550 मीटर के दायरे में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध; (v) 15 वर्ष पुराने वाहनों के पुन:पंजीकरण का चरणबद्ध तरीके से निरस्तीकरण तथा अप्रैल 2004 तक के पंजीकृत वाहनों को चरणबद्ध रूप से बंद करना और (vi) स्थानीय परिवहन के लिए शहर में संचालित बसों की अवधि को 10 वर्षों तक सीमित करना शामिल है।

(ख) और (ग) सरकार इस तथ्य से वाकिफ है कि भारी वाहन, जिनका आगरा गंतव्य स्थान नहीं है, शहर से होकर गुजरते हैं तथा ऐसे वाहनों से वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

भारी वाणिज्यिक यातायात को रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक आगरा शहर से गुजरने की अनुमति है। वर्तमान में, ग्वालियर से जयपुर और मथुरा तक ट्रैफिक इनर रिंग रोड़ से होकर गुजरता है और ये वाहन आगरा शहर में प्रवेश नहीं करते।

(घ) और (ड.) यातायात पुलिस और परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करते हैं कि भारी वाणिज्यिक लदे हुए वाहन नियंत्रणाधीन प्रदूषण प्रमाणपत्र के बिना आगरा शहर से नहीं गुजरें। यातायात पुलिस और होम गार्डों को प्रात: 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक ''नो एंट्री'' की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चौराहों पर तैनात किया गया है। प्रवेश प्रतिबंध समय का उल्लंघन करने पर चालान द्वारा दंडित किया जाता है।

******